

विभागीय लेटर

2 2.1.25

झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।


अधिसूचना

राँची, दिनांक— 31/12/2024 ई०।

1. 13/पी2- 103/2019- 7272/सी0, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री चन्दन कुमार झा, भा०पु०से०(2011) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, एस०आई०बी०, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 13/पी2- 103/2019- 7273/सी0, पुलिस अधीक्षक, (एस०टी०एफ०), राँची के पद पर पदस्थापित श्री प्रियदर्शी आलोक, भा०पु०से० (2011) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेल, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
3. 13/पी2- 103/2019- 7274/सी0, पुलिस अधीक्षक, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री अजीत पीटर डुंगडुंग, भा०पु०से०(2011) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है एवं श्री डुंगडुंग, भा०पु०से० द्वारा धारित पद पुलिस अधीक्षक, देवघर को पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
4. 13/पी2- 103/2019- 7275/सी0, पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अनुरंजन किस्पोट्टा, भा०पु०से० (2011) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
5. 13/पी2- 103/2019- 7276/सी0, वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पद पर पदस्थापित श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से०(2011) को इस शर्त के साथ कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज-III प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा, भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक उनके द्वारा धारित पद वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
6. 13/पी2- 103/2019- 7277/सी0, समादेष्टा, झा०स०पु०-03, गोविन्दपुर, धनबाद (अतिरिक्त प्रभार—पुलिस अधीक्षक, रेल, धनबाद) के पद पर पदस्थापित श्री अम्बर लकड़ा, भा०पु०से० (2011) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. उक्त प्रोन्नति दिनांक—01.01.2025 अथवा प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि, जो बाद में हो, से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


  
31/12/2024

(ओम प्रकाश तिवारी)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-13/पी2- 103/2019- 7277 /

राँची, दिनांक- 31/ 12 /2024 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
31.12.2024

सरकार के उप सचिव।


ज्ञापक-13/पी2- 103/2019- 7277 /

राँची, दिनांक- 31/ 12 /2024 ई०।

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव /संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ०आर० 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :-

"Under FR 22 (1) (a) (2) also there is a provision that on appointment on réguler basis to such new post, other than to an ex-cadre post on députation, the Government servant shall have the option, to be excersied within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

  
31.12.2024

सरकार के उप सचिव।